मान्यवर, मुझे शर्म आयी माननीय कृषि राज्य मंत्री का जवाब सुनकर । वह कहते हैं कि हम कंट्रोल इसलिए नहीं हटायेंगे कि कुछ लोग सस्ती चीनी खाने के आदी हो गये है । मैं कहता हूं कि अगर 15 फीसदी लोग सस्ती चीनी खाने के आदी हो गये हैं तो क्या मंत्री जी ने समझ लिया है कि 85 फीसदी चुपचाप रहेंगे और 5 रु० किलो चीनी खायेंगे ? इसलिए खंडसारी पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करनी चाहिये और गन्ने की कीमत बढ़ायी जानी चाहिये ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : मान्यवर, श्रीमती मृणाल गोरे ने कहा है कि कल वह नहीं रहेंगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उनको आज्ञा दे दें जिससे मैं उनका उत्तर संक्षेप में दे दूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह पहले हो जाने दीजिए ।

(ii) MISMANAGEMENT IN THE C.M.I. LTD. AND EASTERN MANGANESE AND MINERALS LTD., DOMCHANCH, BIHAR

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की औद्योगिक समस्या जो अभ्रक व्यापार से सम्बन्धित है, सदन के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि ईस्टर्न मैंगनीज और मिनरल कम्पनी लिमिटेड और क्रिश्चयन माइक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कम्पनी में पिछले कई वर्षों से मिसमैनेजमेंट हो गया है जिसके कारण 4,000 मजदूर भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गये हैं । इसीलिए इस संदर्भ में 1,000 से ज्यादा मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक मेमोरेंडम मेरे पास आया है जिसको मैंने माननीय विधि मंत्री को पिछले नवम्बर महीने में दे दिया था और कहा कि इस कम्पनी को टेक ओवर कर लिया जाय । इसकी सूचना मैंने श्रम मंत्री, वाणिज्य मंत्री और खान मंत्री को भी दी थी कि यह कम्पनी बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है और इसके कारण 4,000 मजदूर भूखों मर रहे हैं और 13 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है । इन 4,000 मजदूरों के आश्रितों को मिलाकर यह संख्या 50,000 तक पहुंचती है जो संकटग्रस्त हैं । इसलिए मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां से 30, 40 करोड़ का अभ्रक निर्यात होता है । यह एक सबसे बड़ी कम्पनी है जो सबसे पुरानी और विश्व में विख्यात है । करीब साढ़े तीन हजार वर्ग-मील जमीन इसके मातहत है, इसकी दूसरी फैक्टरियां हजारीबाग , कोडरमा, झूमरी, तलैया, गिरीडीह में है । इस के कार्यालय दिल्ली और कलकत्ता में भी हैं । इस कम्पनी ने 1960 से प्राविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं किया है उसमें मजदूरों का हिस्सा भी है और कम्पनी का हिस्सा भी है साथ ही साथ 1975 से अभी तक मजदूरों को वेतन भी नहीं दिया गया है जो कि 45 लाख कम्पनी के पास बकाया हो गया है । इस तरह से मजदूर भुखमरी की स्थिति में आ गये हैं ।

मजदूरों में प्राविडेंट फंड अधिनियम के अन्तर्गत दरख्वास्त भी दी कि उनके भविष्य निधि के पैसे मिलें, लेकिन 68-एच के अन्तर्गत उनको पैसा नहीं मिला है । इसी कारण वहां पर 13 मजदूरों की मृत्यु भी हो गई है जिसका पूरा विवरण मेरे पास है ।

कम्पनी की दुर्दशा को जानने के लिए केन्द्रीय सरकार के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक टीम नवम्बर, 1976 में वहां पहुंची थी । उसने इसके दोषों की जांच-पड़ताल करके यहां पर रिपोर्ट भी दी थी कि इस कम्पनी को अधिनियम की धारा 209, 237 और 408 के अन्तर्गत अधि-

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

ग्रहण करना चाहिये । लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

यह एक पब्लिक कम्पनी है, इसके साढ़े 7 लाख शेयर होल्डर हैं, लेकिन आज यह कम्पनी उन सभी शेयर होल्डर्स की पूंजी खत्म कर चुकी है । साथ ही साथ कम्पनी के डायरेक्टर्स ने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से 6 कम्पनियों का निर्माण किया है और सारे भारतवर्ष में उस पूंजी से 23 कम्पनियां दूसरे प्रदेशों में खोली हैं सारे डायरेक्टर्स ने अलग अलग कम्पनियां बना ली हैं । इस कम्पनी को अब इसके अफसर चला रहे हैं । सारे अफसर लखपति हैं, कोई भी 10, 50 लाख से कम नहीं है। इस प्रकार से आज भी कम्पनी की करोड़ों रुपए की पूंजी पड़ी है, इसके 200 से अधिक मकानात हैं और 500 एकड़ से ज्यादा जमीन जो प्राइवेट है और बहुत सी मशीनरी है। करोड़ों रुपए का माइका स्क्रैप और फैबरीकेटेड माइका पड़ा हुआ है ।

यदि सरकार इसे अधिग्रहण कर के इन मजदूरों को राहत नहीं देती है तो ऐसी हालत में बहुत लोग भूखों मरने लगेंगे । छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में अभ्रक के अलावा और कुछ नहीं है। अभ्रक भी हीरे जवाहारात की तरह बहुत ही बहुमूल्य खनिज है ।

मैंने मंत्री महोदय को 27 नवम्बर, 1977 को एक मैमोरेंडम भी लिखकर दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। इस दशा में मैंने सदन का ध्यान इसलिए दिलाया है कि अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो 4,000 मजदूर यहां आकर सत्याग्रह करेंगे और एक विकट स्थिति उत्पन्न होगी ।

(iii) REPORTED NEWS ABOUT WRONGFUL CONFINEMENT OF MR. JUSTICE S. K. VERMA BY THE MANAGEMENT OF SWADESHI POLYTEX LTD., GHAZIABAD

श्री शरद यादव (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बहुत संगीन मामला आपके सामने उठा रहा हूं । मैंने चाहा तो यह था कि यह कालिंग अटेंशन या किसी और रूप में दिया जाता, लेकिन हर महत्वपूर्ण सवाल को यहां 377 में डाल दिया जाता है।

स्वदेशी पालिटैक्स एक मिल है जो आधुनिक धागा तैयार करती है। एक स्वदेशी काटन मिल है आपको मालूम है कि 8 तारीख को इस सदन में उस मामले पर बहस हो चुकी है। वहां 13 मजदूरों की जानें चली गई। यह सब जो मामला गड़बड़ चल रहा है, या लड़ाई-झगड़ाई चल रही है, इसके पीछे राजा राम और सीताराम नाम के दो पूंजीपति भाई हैं। यह जो सत्ता में सांड हैं, ये लड़कर इस तरह से वहां पर होली खेल रहे हैं और लोगों की जान जा रही हैं।

स्वदेशी काटन मिल में 8 हजार मजदूर हैं। आधुनिक धागा बनाने वाली स्वदेशी पोलिटैक्स मिल, जो गाजियाबाद में है इस पर सीताराम जयपुरिया का कब्जा है। ये सीताराम जयपुरिया साहब पूंजीपति तो हैं ही लेकिन राजनीति में भी घुस गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी बहुत ताकतवर थे और अब जनता सरकार है तब भी ताकतवर हैं।

एक बड़ी अजीब घटना यहां घटी, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश इलाहाबाद के हाईकोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री एस० के० वर्मा के वहां शेयर्स के मामले में काफी घपला है। कानपुर की स्वदेशी मिल ठीक नहीं चल रही है। उसके 14 लाख शेयर्स स्वदेशी पोलिटैक्स गाजियाबाद में है । उसके शेयर बेचना चाहते हैं और जो सीताराम जयपुरिया हैं उनके शेयर उसमें 2200 हैं, लेकिन वह किसी तरह से भी उस पर कब्जा बनाए बैठे हुए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सारी गड़बड़ के कारण कहा कि सीताराम जयपुरिया उस बैठक की